परिपत्र/निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन
परिवहन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक 2246/परि.वि./तक./2016 नयाँ रायपुर दिनांक 27/8/2016

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टरर्स
समस्त पुलिस अधीक्षक

विषयः—गैर परिवहन यानों को परिवहन यान के रूप में उपयोग कर, कर अपवंचन करने के संबंध में।

छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत कई वाहन स्वामियों के द्वारा अपने चार पहिया छोटे वाहन जैसे जीप, कार इत्यादि को गैर परिवहन यान वर्ग में पंजीकृत कराकर इन वाहनों से टैक्सी के रूप में संचालित कर अथवा किराए में देकर व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे न केवल कर अपवंचन हो रहा है, बल्कि मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन भी किया जा रहा है।

2/ उल्लेखनीय है कि शासकीय तौर पर किराये पर उन्हीं वाहनों को ही लिया जा सकता है, जो व्यवसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत रहते हैं, अतः **विभिन्न विभागों, निगम, मंडल एवं निकायों द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए निजी वाहन किराए पर लेने के पूर्व संबंधित वाहन के टैक्सी के रूप में पंजीकृत होने की पुष्टि के बाद ही वाहन किराये से लिया जाना सुनिश्चित** कराया जाए एवं इसका दृढ़ता से पालन करना सुनिश्चित करें।

27/8

(बी.व्ही.आर.सुब्रह्मण्यम)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग

पृ.कमांक 2246-A/परि.वि./तक./2016 नया रायपुर, दिनांक 27/8/2016

प्रतिलिपिः—

1. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
5. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
6. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग/विधि आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/विद्युत नियामक आयोग/ अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/युवा आयोग/महिला आयोग/अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग आयोग/गौ—सेवा आयोग/योजना आयोग।
9. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
10. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर।
13. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग